

6<sup>9</sup>/<sub>२२</sub>

अधिकतागण उपस्थित। निर्णय  
अलग से लिखाया जाकर सुनाया  
गया। प्राची का प्राथमिक पत्र  
स्वीकार किया जाता है। पत्रावली  
निर्णय लेकर गम्बर से कम लेकर  
मूलवाक के साथ संलग्न है।



उपसह अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर